

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. E (NG)-II/2005/RR-1/8.

New Delhi, dated: 28/08/2014

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units
Chairmen, Railway Recruitment Boards (RRBs)/Railway Recruitment Cells (RRCs)

Sub: Recruitment to non-gazetted posts on the railways – Adherence to prescribed qualification in recruitment from open market regarding.

Attention is invited to instructions contained in Board's letter of even number dated 29/6/2006 which debar acceptance of allied/related qualification in lieu of the qualification prescribed by this Ministry and stipulates that candidate in possession of the qualification possessed in line with the extant instructions may only be considered for employment on the railways.

The above instructions were issued to streamline the already perturbed system of open market recruitment, wherein, candidates with similar qualification were being treated differently by different recruiting agencies leading to the matter open for litigation.

However, over a period of time it has been observed that recruiting agencies are seeking clarification from this Ministry on following accounts (i) recognition of institutions; (ii) recognition of courses from regulatory bodies, if any, or other nodal bodies; (iii) whether the course is offered through regular/part-time/distance learning/Membership of Association; (iv) duration of course; and (v) Equivalence.


Referring each and every issue to the nodal Departments/Ministries results in inordinate delay in finalizing candidature of candidates which further results in more complications viz. expiry of panels, candidates taking legal recourse etc.

Taking above things into consideration, instructions contained in letter dated 29/6/2006 ibid have been reviewed and it has been decided by the Board that empanelled candidates in possession of prescribed qualification from institutions run by Central Government/State Government/Bodies enacted by Act of Parliament or State Legislatures or recognized by Central Government/State Government/Bodies enacted by Act of Parliament or State Legislatures be allowed to join without further going into the issue of recognition. Validity or otherwise, of such recognition, if required, will be confirmed by the concerned recruiting agency, contacting directly to the Board/University or the Council as the case may be.

These guidelines do not affect in any way the instructions circulated vide letter No. E(NG)II/2010/RR-1/17 dated 08/12/2011.

Cases decided otherwise in the past need not be re-opened.

Please acknowledge receipt.
(Hindi version will follow)


28/8/14
(Ravi Shekhar)
Deputy Director Estt. (N)-II
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)-II/2005/आरआर-1/8

नई दिल्ली, दिनांक 28.08.2014

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)/रेलवे भर्ती सैल (आरआरसी)

विषय: रेलों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती - ओपन मार्केट से भर्ती करने में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता का पालन करने के संबंध में।

बोर्ड के दिनांक 29/6/2006 के समसंख्यक पत्र में निहित अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के बदले संबद्ध/संबंधित शैक्षणिक अर्हता की स्वीकृति को निषिद्ध करता है और यह अनुबंध करता है कि जिन उम्मीदवारों के पास मौजूदा अनुदेशों में दी गई शैक्षणिक अर्हता के अनुसार शैक्षणिक अर्हता है तो उसे केवल रेलों में नियोजन के लिए ही विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुदेश ओपन मार्केट से भर्ती की पहले से बाधित प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए जारी किए गए थे जिसमें समान शैक्षणिक अर्हता वाले उम्मीदवारों को अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा अलग माना जाता था जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में मुकदमेबाजी की संभावना हो जाती थी।

बहरहाल, एक समयावधि के बाद यह पाया गया कि भर्ती करने वाली एजेंसियां निम्नलिखित कारण से इस मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग रही हैं (i) संस्थानों की मान्यता, (ii) नियामक निकायों, यदि कोई हो, या अन्य नोडल निकायों से पाठ्यक्रमों की मान्यता, (iii) क्या पाठ्यक्रम नियमित/अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा/एसोसिएशन की सदस्यता के माध्यम से दिया गया है, (iv) पाठ्यक्रम की अवधि, और (v) समतुल्य।


नोडल विभागों/मंत्रालयों को प्रत्येक मुद्दे भेजने के फलस्वरूप उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब होता है जिसके परिणामस्वरूप और अधिक समस्याएं जैसे पैनल की अवधि समाप्त हो जाना, उम्मीदवारों द्वारा कानून का सहारा लेना आदि आती हैं।

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए दिनांक 29.6.2006 के पूर्वोक्त पत्र में निहित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि पैनलबद्ध जिन उम्मीदवारों के पास संसद या राज्य के विधान सभाओं के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/निकायों द्वारा संचालित अथवा संसद या राज्य के विधान सभाओं द्वारा स्थापित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों से निर्धारित अर्हता है, इनके मान्यता के मुद्दे को आगे देखे बिना इन्हें नियुक्त किए जाने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा बोर्ड/विश्वविद्यालय या परिषद, जैसा भी मामला हो, से सीधा संपर्क करके इस प्रकार की मान्यता के वैध होने अथवा न होने, यदि अपेक्षित हो, के संबंध में पुष्टि की जाएगी।

ये दिशा-निर्देश दिनांक 08.12.2011 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2010/आरआर-1/17 के तहत परिपत्रित अनुदेशों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं।

उन मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है जिनके संबंध में विगत में निर्णय हो चुके हैं।

कृपया पावती दें।


(रवि शंकर)

उप निदेशक स्था.(एन)-II
रेलवे बोर्ड